असलियत उजागर हो जाय।

**तथाकथित शेखजादगान खादिमों का श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों का तथाकथित मोहमद यादगार को औलाद से होने का गलत दावा करना।**

अजमेर और उसके आस पास तथा उसके चारों ओर में तथाकथित खादिमों का यह दूसरा गिरोह शेखजादगान खादिमों के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। इन तथाकथित शेखजादगान खादिमों का बयान है कि हम लोग ख्वाजा साहब के मुरीद तथाकथित मोहमद यादगार की औलाद से हैं। इस सम्बंध में भी ऐतिहासिक किताबों का अवलोकन करना आवश्यक है कि यह तथाकथित मोहमद यादगार कौन थे? क्या यह वाकई ख्वाजा साहब के साथ भारत आये? और अजमेर में निवास किया और क्या यहीं दफन हुये या उनका मजार अजमेर में है? क्या तथाकथित शेखजादगान उसी तथाकथित मोहमद यादगार की औलाद से सम्बंधित है? इस बात की पुष्टि के लिये ऐतिहासिक पुस्तकों का अवलोकन करने पर **सिवाय ऐतिहासिक पुस्तक तारीखे फरीश्ता किताब का सफहा नम्बर (पृष्ट सं. ३६ व ३७ (५७०-५७१-५७२)) मुन्शी नवलकिशोर प्रेस का एडीशन** से यह बात साबित होती है कि मोहमद यादगार हिरात का हाकिम था और हिसार शादमान में पहुंचकर ख्वाजासाहब का चेला बना था और अपना माल व दौलत गरीबों में खैरात कर अपनी वैवाहिक पत्नि को तलाक देकर, फकीर संत होगया था।



**अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह महोमद यादगार कौन था ? क्या यह सैयद था या शेख क्या यह मुगल था या पठान ? क्या वह शिया था या सुन्नी?इस सम्बंध में मौलाना अब्दुल हलीम शरर साहब ने अपनी जीवनी जिसका नाम ''तारीखे शरर''है ,की पृष्ट संख्या १७ व १८ पर शेख मोहम्मद यादगार के लिये यूं लिखते हैं कि जब ख्वाजा साहब** हिसार सब्जवार पहुंचे तो सब्जवार की हुकूमत शेख मोहम्मद यादगार नाम के एक ऐसे आदमी के हाथ में थी जो निहायत फासिक व फाजीज आदमी था और आपके हालात लिखने वाला बताते हैं कि यह मोहम्मद यादगार शिया धर्म का मान्ने वाला था यह वह आदमी था जो उन मुसलमानो को भी तरह-तरह से तकलीफ देता था जिनका नाम अबुबक, उमर या उस्मान होता था यहां तक वह उनको जान से मार डालने में भी कोई कसर नहीं रखता था लेकिन जब ख्वाजा साहब की दृष्टि उस पर पडी तो ख्वाजा साहब के चरणों में गिर पडा और ख्वाजा साहब का चेला बन गया उसने चेला बन्ने के बाद अपनी वैवाहिक पत्नि तक को छोड दिया था और ख्वाजा साहब के साथ होगया और काफी समय तक उनके साथ रहा तब ख्वाजा साहब ने देखा कि यह अब पहले जैसा मोहम्मद यादगार नही रहा बल्कि अल्लाह से डरने वाला बन गया तो ख्वाजा साहब ने आदेश दिया के अब तुम्हें मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम इसी इलाके सब्जवार में रहो और इस्लाम धर्म का प्रचार करो। इस तराह मोहम्मद यादगार हिसार शादमान मे ही रहा हिसार शादमान में ही उसका देहान्त हुआ और मोहम्मद यादगार की कब्र भी हिसार शादमान में ही है। इसकी पुष्टि ऐतिहासिक पुस्तक तारीखे फरीशता भी करती है इस प्रकार उपरोक्त कथन के जरिये इस ऐतिहासिक पुस्तक की रोशनी में यह साबित होता है कि यह मोहम्मद यादगार ख्वाजा साहब के साथ न तो भारत आया था और न ही अजमेर में निवास किया और न इस मोहम्मद यादगार का मजार अजमेर में है। इस उपरोक्त कथन की पुष्टि मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी ने अपनी किताब ''निसारे ख्वाजा'' के पृष्ठ संख्या ५६ से ७० तक पर भी की है। इसी कथन की पुष्टी पी.एम. क्युरी ने अपनी ऐतिहरसिक पुस्तक ''दि शराइण्ड एण्ड स्कल्ट आफ हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती आफ अजमेर के पृष्ट संख्या १४५, १४६, १४७ पर भी की है। यह पुस्तक आक्सफोर्ड प्रेस से प्रकाशित हुयी है और विश्व के १६ देशों में एक साथ छपी है। इसी उपरोक्त कथन की पुष्टि ''मदाईनुल मोईन नामी ऐतिहासिक पुस्तक के पृष्ट संख्या १३३ से भी होती है जो सर सालारजंग म्युजियम हैदराबाद में सुरक्षित है और इस समय अजमेर में हाजी सैयद सौलत हुसैन साहब के पास सुरक्षित है। जो किसी भी समय देखी जा सकती है।

इस आधार पर तथाकथित शेख जादगान खादिमों का यह कथन की हम तथाकथित मोहम्मद यादगार की औलाद से है बेबुनियाद एवं बिल्कुल आधारहीन हो जाता है और बेचारे भोले भाले (दर्शनार्थि श्रद्धालुओं जायरीनों) और आम लोगों को धोखा देकर अपना उल्लु सीधा करने व अपनी दुकान चलाने के अलावा कुछ भी नहीं है।

अपना उल्लु सीधा करने व अपनी दुकान चलाने के अलावा कुछ भी नहीं है।

**दरगाह के तथाकथित खादिमों को श्रद्धालुओं को दर्शनार्थियों व आम लोगों के अपने सैयद होने का धोखा देना**

उपरोक्त कथन के अतिरिक्त इन तथाकथित खादिमों का बयान है कि हम सैयद हैं। इस संबंध में भी देखने वाले व पाठकों को धोखे में रखा है जबकि हकीकत या सच्चाइ यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र बहादुरशाह प्रथम जो औरंगजेब के बाद देहली तख्त पर बैठा वह बादशाह कहलाया उसके आदेशों से तजकरातुस्सादात नामक एक एतिहासिक पुस्तक लिखि गयी। जिसमें हिन्दुस्तान के तमाम सैयदों का और ख्वाजा साहब की औलाद (अहलेसादात)का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया



है। जो पुस्तक लिखे जाने तक जिन्दा थे। इस पुस्तक के अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसमें भी कहीं पर खादिमों का कोई जिक्र नहीं है यह किताब बिहार स्टेट की लाइब्रेरी में सुरक्षित है और इस समय हाजी वजीर अली हाजी से सोलत हुसैन साहब और फजले मतीन के पास सुरक्षित है। इस प्रकार इन तथाकथित खादिमों का सैयद होने का दावा एवं प्रमाण भी बिल्कुल निराधार हो जाता है और सिवाय जायरीनों (श्रद्धालुओं को व आम जनता को धोखा देने के अलावा और कुछ नही।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तथाकथित खादिम कौन हैं? कहां से आये? यह जानकारी प्राप्त करने से पूर्व अजमेर की भौगोलिक स्थिति और उसकी ऐतिहासिकता को जानना अति आवश्यक है कि उस समय अजमेर में ही दो ही मोहल्ले थे बाकी तमाम वीरान बयाबान जंगल था और जो मोहल्ले आबाद थे उन मोहल्लोंमें से एक मोहल्ला लाखनकोठरी भी था जो आज भी अपने पूर्व ऐतिहासिक नाम से मशहुर है और जाना जाता है इस लाखन कोठरी का भी एक अलग इतिहास है।

**तारीखे लाखन कोठरी (ऐतिहासिक लाखन कोठरी) मोहल्लाः-**

यह लाखन कोठरी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है यह ख्वाजा साहब के अजमेर आगमन से पूर्व राजा पृथ्वीराज चौहान ने मीना नाम एक बहुत ही खखूबसूरत औरत (स्त्री) रख छोड़ी थी। यह स्त्री जाति से भील थी पृथ्वीराज चौहान के इस स्त्री से २१ पुत्र पैदा हुये जिसकी पुष्टि फौजदारी मुकदमा नं. ७० सन १६२८ ई. सरफराज बली बनाम मोहियुद्दीन उर्फ प्यारे मियां वाले केस में फरजन्द अली पुत्र वजीर अली ख्वाजासाहब के १५ फरवरी-सन १६२६ को जनाब मांगीलाल दोसी मजिस्ट्रेट प्रथम अजमेर की अदालत में दिये गये बयान से भी होता है। और इसी बात की पुष्टि मगरे रेखाडा की कोमों का इतिहास भी करता है इनमें छः लड़कों का देहान्त हो चुका था बाकी १५ लड़कों में पृथ्वीराज के दौरे हुकुमत में ख्वाजा साहब के अजमेर आगमन के समय इसी भील औरत के लड़के लाखाभील अपने दूसरे भाईयों टेकाभील शाखा भील भीखा भील और बिरधा भील के साथ इसी मोहल्ले में रहता था इसी लाखा भील के नाम से यह मोहल्ला लाखन कोठरी के नाम से कहलाया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है और इसी नाम से आज भी मशहुर है। इस कथन की पुष्टि कर्नल जेमस होड की एतिहासिक पुस्तक टाड राजिस्थान से भी होती है और मोईनुल अरवाह नामक ऐतिहासिक पुस्तक की पृष्ट संख्या ४१० और ''आसानुरिसहर'' नामक इस पुस्तक की पृष्ट संख्या ७१ व ७२ से भी होती है। ''तारीखे ख्वाजा अजमेर नामी ऐतिहासिक पुस्तक भी अपनी पृष्ट संख्या ७१ पर इस कथन की पुष्टी करती है। दूसरे यह कि उसी मोहल्ले में चांदी की खान थी, लेकिन जब देखा कि इस खान से चांदी निकलनी खत्म होगई तो उसे बंद करदिया कि अब खान से कोई लाभ नहीं है। अंग्रेजों के आगमन और मुगलों के आखिरी दौर में भी यह मोहल्ला एक वीरान जंगल था लेकिन जब १८७१ ई. के अन्त में इस शहर पर अंग्रेजों का कब्जा आगमन हुआ तो सेठ साहुकारों ने अमन व शान्ति का माहौल देखकर, अपने मकानात अंग्रेज अधिकारियों से आज्ञा लेकर निर्माण कर लिये जिन्होंने बाद में कोठियों का रुप धारण कर लिया।इसी लाखाभील की कब्र (मजार) मोहल्ला सिलावटान, उभरलो हताइ की गली मोहल्ला लाखन कोठरी में आज भी मौजूद है। इस बात की पुष्टि नवाब खादिम हुसैन कि ऐतिहासिक पुस्तक मोईनु अरवाह की पृष्ट सेख्या ४१० से भी होती है और आसानुस्सिहर नामक ऐतिहासिक पुस्तक कि पृष्ठ संख्या ७१ व ७२ भी इस बात की पुष्टि करती है। १६४७ ई. तक यह तथाकथित खादिम लोग वहां जाते रहे है और लाखाभील का वार्षिक उर्स बनाते रहे हैं। आज सिर्फ हाजी इफतेखार अली पुत्र सरफाज अली ही एक ऐसे खादिम है जो अपने पूर्वज जिनसे इन तथाकथित खादिमों का वंश चला अर्थात लाखाभील के मजार पर पाबंदी से हाजिर होते है और फूल

अगरबत्ती आदि करते है और लेकिन जब इन तथाकथित खादिमों ने देखा कि अब हमारी असलियत जानने वाले भारत में नहीं रहे है तो इस बात का फायदा उठाकर ख्वाजा साहब के गुम्बद में तोसाहा खाना में बने ख्वाजा साहब की दोनों पत्नियों और परिवार के दूसरे सदस्यों के मजारात को तथाकथित फखरुद्दीन गुरदेजी की मजार कहना शुरु कर दिया और बेचारे भोले भाले लोगों से यहां भी रुपया ऐठना शुरु कर दिया है। इस प्रकार लाखन कोठरी की ऐतिहासिक मालुमात हासिल करने के बाद आते है जिसके नाम से यह मोहल्ला आबाद था और आज भी आबाद है। अर्थात लखानामी भील पर । यह २१ भाई थे जो पृथ्वीराज चौहान की अवैध सन्तान थे इन भाईयों में लाखा, टेका, शाखा, भीखा, जोधा, बिरघा हजरत ख्वाजा साहब की सेवा में आये इस प्रकार ख्वाजा साहब को अपना गुरु (पीर) स्वीकार किया यह घटना सं. ११७५ (चन्द्रभाट) की है। और उसी समय में विक्रमी सं. १२६५ था। इस प्रकार लाखाभील और टेकाभील के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद इन दोनों भाईयों का इस्लामी नाम ख्वाजा साहब ने रखा अर्थात लाखाभील का नाम फखरुद्दीन रखा और टेकाभील का मोहम्मद यादगार रखा इस प्रकार लाखा भील अर्थात फखरुद्दीन की औलाद से अपने आप को तथाकथित सैयद जादे खादिम कहलाने वाले तथाकथित खादिम हैं और टेकाभील अर्थात मोहम्मद यादगार की औलाद से अपने आप को तथाकथित शेख जादे कहलवाने वाले तथाकथित खादिम है। इस प्रकार आज जो अंजुमन मोईनिया फखरिया सैयद जादगान खुदा में ख्वाजा साहब वाले हैं, वह लाखाभील की औलाद से हैं और अंजुमन यादगारे चिश्तीया शेख जादगान खुददामे ख्वाजा साहब वाले है वह टेका भील की औलाद से हैं।

इस उपरोक्त वर्णित कथन की पुष्टि चन्द्रभाट की बही की पृष्ठ संख्या ४४,४५ से भी होती है। जो लाखा भील वाले एक फोजदारी मुकदमा में एकजीबिट (प्रदश)डी./४४ और डी/ ४५ के रुप में कोर्ट रेकार्ड पत्रावली में सलग्न है। इसी उपरोक्त कथन की पुष्ठि के सम्बंध में एक फौजदारी मुकदमा भी चला था जो सन १९३० ई. में निर्णित हुआ था। इसी नर्णिय में अजमेर की दरगाह के तमाम तथाकथित खादिमों को लाखामील और टेका भील की औलाद से होना साबित किया गया है। यह मुकदमा इस प्रकार दर्ज हुआ था कि :-

इन्दि कोर्ट आफ दि ट्रेजरी आफिसर एण्ड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रिमनल केस नं. ७० सन १९२८ ई.

सरफराज अली पुत्र युसुफ अली खादिम आफ अजमेर कम्पलेनेन्ट वरसेज मोहियूद्दीन एलियस प्यारे मियां मुसलमान आफ अजमेर । एक्यूज्ड डिसाईटेड ऑन ३१/७/१९३० ई. बाई जवाहर लाल रावत मजिस्ट्रेड फर्स्ट क्लास अजमेर।

इन दिस केस दी कोर्ट होल्ड ऐज अण्डर देट लाखा एण्ड हिस बरदर टेका बिकेम मोमेडन इन सम्वत ११७५ (सम्वत-चन्द्र भाट) इट वोज सम्वत (विक्रमी) १२६५ दैन खादिम्स आर दि डिरेन्डन्टस ऑफ लाखा एण्ड टेका। लाखा एण्ड टेका वर भील लाखाज इस्लामिक नेम वाज फखरुद्दीन, टेकाज नेम वास मोहम्मद यादगार।

**हिन्दी अनुवाद**

न्यायालय ट्रेर आफिसर उण्ड मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अजमेर
फोजदारी मुकदमा नम्बर-७०/१९२८ ई.
सरफराज अली पुत्र युसुफ अली खादिम अजमेर....वादी/प्रार्थी
बनाम
मोहियूद्दीन उर्फ प्यारे मियां मुसलमान निवासी अजमेर ...मुलजिम/प्रार्थी
निर्णित दिनांक ३१-७-१९३० ई. द्वारा जवाहर लाल रावत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजमेर



उपरोक्त मुकदमा में अदालत ने निम्न निर्णय दिया कि लाखा और उसका भाई टेका सम्वत ११७५ (सम्वत-चन्द्रभाट)में मुसलमान हुये उस समय विक्रमी सम्वत-१२६५ था खादिम जो भी है वह लाखा और टेका की औलाद (सन्तान)में से हैं। लाखा और टेका जाति से खुद भील थे लाखा का इस्लामी नाम फखरुद्दीन और टेका का मोहम्मद यादगार रखा गया था।